12.56 hrs.

MATTER UNDER RULE 377

PREMATURE RETIREMENT OF OFFICER COMMANDING MALAD

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो मामला मैं उठाना चाहता हूं, वह हमारे लोकतंत्र के लिये और सरकार की वित्तीय मामलों में इस सदन के प्रति जो जिम्मेदारी होती है या दायित्व होता है उसके लिये अनन्य साधारण महत्व रखता है । इस सदन के द्वारा जो पैसा सरकार को दिया जाता है उसको उचित रूप से इस्तेमाल किया गया है या नहीं, यह देखने के लिये हमारे संविधान में दफा 148 के मातहत कंट्रोलर और आडिटर जनरल की संस्था बतलाई गई है । उनके द्वारा जो रपट आती हैं और सरकार के खर्चे का जो हिसाब रहता है उसके ऊपर निगरानी रखने के लिये और उसका निरीक्षण करने के लिये पार्लियामेन्ट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है । पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का यह फर्ज होता है कि अगर सरकारी खर्च में कोई दोष हैं, खराबियां हैं, घोटाले हैं, तो उनको वह पार्लियामेंट के सामने रखे ।

पिछली लोक सभा में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने खराब टायरों, डिफेक्टिव टायरों का मामला और उसके बारे में अपनी सिफारिशें 30 नवम्बर, 1966 को इस सदन के सामने रखी थीं, और उसमें यह कहा था कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, डाइरेक्टर जनरल आफ सप्लाइज ऐंड डिस्पोजल्स और इसी तरह से सुरक्षा मंत्रालय और मलाड सी० ओ० डी० के आफिसर कमांडिंग मेजर सिंह आदि सभी लोग इसमें दोषी हैं । इसमें सुरक्षा का मामला आ जाता है क्योंकि टायर खराब थे । असल में उनको खरीदना नहीं चाहिये था । इसके बारे में सुरक्षा मंत्रालय को चाहिये था कि इस सम्बन्धी अपना निर्णय समय पर अपनी शाखाओं को बताये । इतना ही नहीं जो सूचना दी गई थी कि इस तरह के खराब टायर सेना के अग्रिम इलाकों के लिये, फार्वर्ड एरियाज के लिये न लिये जायें, इसके ऊपर भी अमल नहीं हुआ । नतीजा यह हुआ कि करीब करीब 6,000 टायर लिये गये । क्रास कंट्री टायर लेने का फैसला हुआ था लेकिन क्रास कंट्री टायर्स के बजाय ट्रैक हार्ड रोड टायर, यानी टी० एच० आर टायर्स, खरीदे गये । जैसा सदन को बतलाया गया था, फार्वर्ड एरियाज को भी ये टायर दिये गये थे । उस वक्त मैंने मांग की थी, और मेरी मांग के आधार पर ही उस वक्त आप ने कहा था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसको दुबारा देख ले ।

बीच में सुरक्षा मंत्री के द्वारा एक अन्तर्विभागीय समिति बनाई गई, और उसका निवेदन भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने आया । इन सभी बातों का विचार करके—और मैंने भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेअरमैन के पास काफी जानकारी दी थी, दस्तावेज दिये थे, कागजात दिये थे, और चेअरमैन साहब ने कहा था अपनी चौथी रपट तैयार करते समय यह सामग्री उनको बहुत उपयोगी हुई है— यह चौथी रपट आप के सामने आई है । उसमें बाकी जो खराबियां हैं उनका जिक्र मैं इस वक्त नहीं कर रहा हूं । मैं केवल एक सीमित प्रश्न आप के सामने रख रहा हूं ।

असल में तो यह विशेषाधिकार का प्रश्न है । लेकिन आप ने हम से कहा कि विशेषाधिकार के प्रश्न पर मैं न बोलूं और 377 के मातहत ही मैं अपना निवेदन करूं । मैंने आप की आज्ञा की माना । पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहती है कि :

> "The Committee are also constrained to point out that government did not take prompt notice of the recommendations of the committee inasmuch as the officer commanding, Malad against whom

the committee had passed strong strictures and recommended investigation was allowed to retire prematurely from service on 16th December, 1966, that is, two weeks after the presentation of the report of the committee, on 30th November, 1966."

मैं आपके सामने, और आपकी मार्फत सदन के सामने, विचार के लिये केवल एक सीमित प्रश्न रख रहा हूं कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी, जो कि पूरे सदन की कमेटी है, एक सिफ़ारिश करती है कि फ़लां-फ़लां अफ़सर दोषी हैं और उनके खिलाफ़ जांच की जाये, लेकिन 16 दिसम्बर को, अर्थात् कमेटी की रपट आने के सोलह दिन बाद, कमेटी की सिफ़ारिशों के बारे में बिल्कुल विचार न करते हुए, कमेटी का अपमान और अवहेलना करते हुए, उस अफ़सर को सेना से मुक्त होने की इजाजत दे दी जाती है । तो क्या यह उचित था ?

13 hrs.

अन्य मंत्रियों और अधिकारियों के बारे में पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की जो नई सिफ़ारिशें हैं, उसके ऊपर जरूर कार्यवाही होनी चाहिये । कल जब यू० पी० सी० सी० के बारे में पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की सिफ़ारिशों का प्रश्न इस सदन में आया था, तो स्वयं आप ने कहा था कि जब स्थिति बिल्कुल साफ़ है, तो क्या वजह है कि जल्दी फ़ैसला नहीं किया जाता है । इस सम्बन्ध में एस० टी० सी० के चेयरमैन, डायरेक्टर जेनेरल आफ़ सप्लाईज एंड डिसपोजल्ज, श्री राघवाचारी और डिपुटी डायरेक्टर जेनेरल, श्री पी० सी० गुप्ता, मेजर सिंह आफिसर कमांडिंग, मलाड या कान्दीवली को दोषी ठहराया गया है । उस वक्त श्री चव्हाण सुरक्षा मंत्री और श्री रघुरामैया सप्लाई के मिनिस्टर थे । शायद आप को पता नहीं होगा कि उनके कमरे में एक सभा हुई, जिसमें सेना के लिये, अग्रिम इलाकों, फ़ार्वर्ड एरियाज, के लिये ये खराब टायर भेजने का फ़ैसला किया गया । उसके बारे में श्री कृष्णमाचारी ने, जो कि उस वक्त मिनिस्टर फ़ार डिफ़ेंस को आर्डिनेशन थे, अपने नोट लिखा है पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने कहा कि सेना के लिये, अग्रिम इलाकों के लिये, इस तरह के खराब टायर होना खतरे से खाली नहीं है । अगर इस बात की जांच की जायेगी कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई में हम लाहौर नहीं ले सके और दूसरे इलाके जल्दी फ़तह नहीं कर सके, इसके पीछे क्या कारण हैं, तो उनमें से एक कारण यह जरूर होगा ।

यह बहुत गम्भीर सवाल है । हमारे देश पर अचानक हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है । हम हर साल 900 करोड़ से अधिक रुपया इनको दे रहे हैं । आज हमारे मन बहुत चिन्तित हैं कि क्या इतना पैसा देने के बाद भी हमारी सेना मुकाबला करने की स्थिति में है और क्या उसमें आवश्यक मनोबल है ।

कल सदन को यह खबर नहीं दी गई कि यू० पी० सी० सी० के वाही को गिरफ्तार किया गया था और हाई कोर्ट में दो लाख रुपये की जमानत पर उनको मुक्त किया गया है ।

जब सरकार के पास इतने व्यापक अधिकार हैं, तो क्या वजह है कि इन सब बड़े अधिकारियों को—एस० टी० सी० के चेयरमैन, डायरेक्टर जेनेरल, डिपुटी डायरेक्टर जेनेरल और मेजर सिंह को—तत्काल गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा है और जो मंत्री दोषी हैं, उनके खिलाफ़ कार्यवाही नहीं की जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय, इन प्रश्नों का उत्तर कौन देगा ? इन प्रश्नों का उत्तर प्रधान मंत्री को देना चाहिये और अगर प्रधान मंत्री जवाब नहीं देना चाहती हैं, तो उप-प्रधान मंत्री दें । क्या ये लोग जवाब देंगे ?

Mr. Speaker: The reply will be only by the concerned Minister.

श्री मधु लिमये : यह तो बहुत बड़ा सवाल है । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस

[श्री मधु लिमये]

का उत्तर पूरी सरकार की ओर से प्रधान मंत्री या उप-प्रधान मंत्री दें । यह मामला बहुत गम्भीर है । अचानक हमले का खतरा बढ़ रहा है । ऐसी हालत में अगर सेना का शुद्धीकरण न हुआ, तो फिर हमारे देश की सुरक्षा कैसे हो पायेगी ? अभी परसों खबर आई थी कि इंडियन एयर फ़ोर्स में भी जासूसी का मामला चल रहा है । यह सडान दूर तक फैली है । इस को शुद्ध करने का काम हम लोगों की ओर से आप कीजिये । यह कोई दल का सवाल नहीं है, बल्कि समूचे राष्ट्र का सवाल है ।

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat): Sir, the hon. Member has raised a very—

श्री गुमानमल ठाकुर (सहरसा) : मंत्री महोदय हिन्दी में बोलें, ताकि हम लोग भी समझ लें ।

श्री ब० रा० भगत : अगर माननीय सदस्य चाहते हैं, तो . . . .

Mr. Speaker: He has started in English; let him continue.

Shri B. R. Bhagat: The hon. Member has raised, as he himself described, a limited question as to why in taking the decision, that is the premature retirement, this fact was not considered—that is, the recommendation of the Public Accounts Committee. So far as the actual decision taken is concerned, although it was communicated on the 16th December, the actual decision taken was—the Defence Secretary passed orders—on the 29th November. Two branches had been separately processing the two issues. The facts had been brought before the Committee and the Committee had noted the lack of co-ordination between the two branches. We have taken action to ensure, as the Committee has reported, that in future all such cases will be considered—before anyone who is being retired—three years' cases previous to that, and all these will be brought before the file. So, in future, it is expected that no such thing will happen.

Then, the hon. Member said about the performance of these tyres. He said that it is a matter of security. Yes; we are always concerned about the security. The Committee, on 30th November, had recommended that the performance should be gone into. This was given to them. I only quote from the report: "The average kilometrage per tyre performed by these tyres is 20,734." Whereas, "the average kilometrage per tyre performed by such indigenous tyres is 21 574" That is the only way in which you can judge the performance. So, there is no very material difference between the two, and the question of danger to the security of the country is overdramatised, as borne out by these facts.

श्री मधु लिमये : पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने यह बात नहीं मानी है ।

Shri B. R. Bhagat: Then, about the question of retirement of this officer. The recommendation of the Committee was that the responsibility for this should be fixed on the persons concerned. We will certainly look into it. The report has come only two days ago. We will look into it.

But I want to submit to this House that the issues involved are such that the action could be taken in three ways: firstly, under the Army Act, the officer could have been court-martialled. Secondly, under the Service Rules, we could have taken action: whether his pension should be withheld or reduced or whatever is possible could be done under the rules. Thirdly, under the Prevention of Corruption Act or the IPC, we can take action to prosecute. These are the only three possible lines of action, —whether the officer is retired or whether he has not retired,—these three lines of action are open, and none of these lines are barred.

So far as the first question, action under the Army Act, is concerned, it could be taken only within three years before the action has taken place and come to notice. This matter was brought to the notice of the Ministry in September, 1966, whereas this action taken by the officer in question was in April, 1963, i.e. after the three years had elapsed.

श्री मधु लिमये : यही तो चाल है । और क्या चाल है ?

Shri B. R. Bhagat: That may be. We can look into that question, whether the officer was in service or was not in service. But we could not have taken action under the Army Act if the officer had not retired. Then, about the second course, we have informed the Committee that we have already taken action in respect of his pension. His pension has been deducted by one-third.

श्री मधु लिमये : उससे क्या होता है ? दो चार लाख रुपया उन्होंने बना लिया । यह पेन्शन की बात कर रहे हैं ।

Shri B. R. Bhagat: The commuted value of it comes to something like Rs. 30,000. This fact has been reported. About the third action—whether we can prosecute him under the Prevention of Corruption Act or not this matter is before the CBI: whether the assets are disproportionate or anything else. We can take action in time. Therefore, the material question is, whatever the Committee has recommended, we will carefully consider it. But the material fact is whether the retirment of the officer has led to a situation in which we cannot do something which we could have done. That is not so.

13.11 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after lunch at fourteen of the clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

RE. BUSINESS OF THE HOUSE

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Sir, before you proceed with the business I have a submission to make. Tomorrow is the last day of this session. You must have read in the newspaper that the Bengal Ministers are coming here to have a *dharna* before the Prime Minister's residence. I have tabled a Calling Attention Notice; that is a different matter. The Bengal Ministers are coming only to take up the matter of food. I would, therefore, request Shri Ram Subhag Singh, through you, Sir, that the Food Minister may make a statement on the subject.

Mr. Deputy-Speaker: Tomorrow we are sitting. I have read the news item in the papers. I am sure the Minister of Food and the Prime Minister must have taken note of it. Let us proceed with the business now.

14.04 hrs.

PUBLIC WAKFS (EXTENSION OF LIMITATION) AMENDMENT BILL

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I beg to move:

> "That the Bill to amend the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959, be taken into consideration."

I would like to recall that the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959, was passed in order to extend the period of limitation in certain cases of suits to recover possession of immovable property forming part of a public wakf. That period of limitation expires on 15th August, 1967. Due to various reasons only about 3162 suits could be filed which represent a very small proportion of